# कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. - 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेंल- spazh-up@nic.in


पत्र संख्या- 412/2026

## प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 29.10.2026

**थाना बरदह, साइबर हेल्प डेस्क की बड़ी कार्यवाही; साइबर फ्रॉड के ₹7,400/- पीड़ित के खाते में वापस कराए गए।**

***पूर्व की घटना का विवरण-***

दिनांक 04.10.2026 को सौरभ प्रजापति पुत्र विनोद प्रजापति निवासी ग्राम बेलाखास, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़ के साथ बिना जानकारी के ₹7,400/- का साइबर फ्रॉड किया गया था। इस संबंध में पीड़ित द्वारा दिनांक 05.10.2026 को एनसीआरपी पोर्टल पर शिकायत संख्या 33103260058845 दर्ज कराई गई थी। साइबर हेल्प डेस्क, थाना बरदह की टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए फ्रॉड की गई संपूर्ण धनराशि ₹7,400/- को संबंधित बैंक खाते में होल्ड कराया गया। तत्पश्चात आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर उक्त धनराशि पीड़ित के बैंक खाते में वापस करा दी गई।

**पुलिस की अपील-**

**आजमगढ़ पुलिस आमजन से अपील करती है कि किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ अपनी बैंकिंग संबंधी गोपनीय जानकारी, ओटीपी, एटीएम पिन एवं पासवर्ड साझा न करें। किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें और साइबर फ्रॉड होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें अथवा www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं, जिससे समय रहते आवश्यक कार्यवाही कर आपकी धनराशि वापस कराने में मदद मिल सके।**

***पुलिस टीम-***

1. थानाध्यक्ष चन्द्रदीप कुमार, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।
2. उ0नि0 मनीष सिंह, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।
3. म0आ0 आरती सिंह, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।

***थाना कोतवाली पुलिस द्वारा किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार***

***घटना का संक्षिप्त विवरण-***

वादी मुकदमा, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना कोतवाली पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 25.10.2026 को उनकी नाबालिक पुत्री बिना बताए घर से कहीं चली गई है। वादी को आशंका थी कि आकाश कुमार निवासी मुबारकपुर उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 554/26 धारा 87/137(2) बीएनएस के अंतर्गत दिनांक 26.10.2026 को अभियोग पंजीकृत किया गया।

***गिरफ्तारी का विवरण-***

दिनांक 28.10.2026 को उ0नि0 नरेन्द्र विक्रम सिंह, चौकी प्रभारी एलवल, मय हमराह पुलिसकर्मियों द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त आकाश कुमार पुत्र चन्द्रबोस निवासी भटौरा, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 21 वर्ष को बवाली प्राइवेट बस अड्डे से समय करीब 14:10 बजे नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

***गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-***

आकाश कुमार पुत्र चन्द्रबोस निवासी भटौरा, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 21 वर्ष।

***पंजीकृत अभियोग-*** मु0अ0सं0 554/26, धारा 87/137(2) बीएनएस, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।

***गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-***

1. उ0नि0 नरेन्द्र विक्रम सिंह, चौकी प्रभारी एलवल, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।
2. का0 विकास यादव, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।
3. का0 सत्येन्द्र प्रजापति, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।

**थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़**

***साइबर फ्रॉड की धनराशि में से ₹2,000/- पीड़ित के खाते में वापस कराए गए।***

***घटना का विवरण-***

आवेदक शाहआलम पुत्र इसा अहमद निवासी ग्राम करखिया रुस्तम सराय, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़ के साथ दिनांक 08.09.2025 को ₹3,300/- का साइबर फ्रॉड हुआ था। इस संबंध में आवेदक द्वारा दिनांक 09.09.2025 को थाना रौनापार पर शिकायत संख्या 23109250136977 दर्ज कराई गई थी।

***धनराशि वापस कराने का विवरण-***

शिकायत प्राप्त होने के उपरांत साइबर टीम थाना रौनापार द्वारा संबंधित बैंकों से ई-मेल एवं वार्ता के माध्यम से समन्वय स्थापित कर फ्रॉड की गई कुल धनराशि में से ₹3,000/- को फ्रॉड करने वालों के विभिन्न बैंक खातों में होल्ड कराया गया। होल्ड धनराशि में से ₹2,000/- दिनांक 28.10.2026 को **MRM पोर्टल** के माध्यम से आवेदक के बैंक खाते में वापस करा दिए गए हैं। शेष होल्ड धनराशि को पोर्टल पर अपडेट होने के उपरांत वापस कराने की कार्यवाही की जाएगी।

***पुलिस टीम-***

साइबर टीम, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़।

***पुलिस की अपील-***

**आजमगढ़ पुलिस आमजन से अपील करती है कि साइबर फ्रॉड होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर *1930* पर कॉल करें अथवा *www.cybercrime.gov.in* पर शिकायत दर्ज कराएं। अपनी बैंकिंग संबंधी गोपनीय जानकारी, ओटीपी, एटीएम पिन एवं पासवर्ड किसी के साथ साझा न करें तथा किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचें।**

***थाना रौनापार पुलिस द्वारा किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में प्रकाश में आए अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया***

***घटना का विवरण-***

वादिनी मुकदमा,थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़ द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया कि उनकी नाबालिक पुत्री दिनांक 01.09.2026 को प्रातः करीब 07:00 बजे साइकिल से स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन देर रात्रि तक वापस नहीं आई। नात-रिश्तेदारों के यहां तलाश करने पर भी उसका कोई पता नहीं चला। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रौनापार पर मु0अ0सं0 250/2026 धारा 137(2) बीएनएस के अंतर्गत अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान पीड़िता की बरामदगी एवं धारा 180 व 183 बीएनएसएस के अंतर्गत दर्ज बयानों के आधार पर अभियुक्त राजकुमार उर्फ राजू पुत्र श्यामाचरन निवासी ग्राम सिरसा, थाना अमरिया, जनपद पीलीभीत का नाम प्रकाश में आया तथा मुकदमे में धारा 87 बीएनएस की बढ़ोतरी की गई।

***गिरफ्तारी का विवरण-***

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के आदेश के अनुपालन में, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सगड़ी के नेतृत्व तथा थानाध्यक्ष रौनापार के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 29.10.2026 को उ0नि0 सुमित सिंह मय हमराह पुलिस बल द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आए अभियुक्त राजकुमार उर्फ राजू पुत्र श्यामाचरन निवासी ग्राम सिरसा, थाना अमरिया, जनपद पीलीभीत, उम्र करीब 27 वर्ष को करखिया मोड़ से समय करीब 09:40 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना अभियुक्त के परिजनों को दूरभाष के माध्यम से दी गई। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

***गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-***

राजकुमार उर्फ राजू पुत्र श्यामाचरन निवासी ग्राम सिरसा, थाना अमरिया, जनपद पीलीभीत, उत्तर प्रदेश, उम्र करीब 27 वर्ष।

***पंजीकृत अभियोग-*** मु0अ0सं0 250/2026, धारा 137(2)/87 बीएनएस, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़।

***गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-***

1. उ0नि0 सुमित सिंह, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़।

**जनपद आजमगढ़**

**□ “ऑपरेशन कनविक्शन” के तहत आजमगढ़ पुलिस की प्रभावी पैरवी से दोहरे हत्याकांड में 09 अभियुक्तों को आजीवन कारावास।**

**□ माननीय न्यायालय द्वारा सभी 09 दोषसिद्ध अभियुक्तों पर ₹74,000-₹74,000 का अर्थदण्ड भी लगाया गया।**

“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गई प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दोहरे हत्याकांड में 09 अभियुक्तों को आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को ₹74,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

➡ □ घटना का विवरण— दिनांक 21.10.2007 को वादी मुकदमा राम जनम सिंह पुत्र स्व0 शिव पूजन सिंह निवासी ग्राम रुदरी, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़ द्वारा तहरीर दी गई कि ग्राम प्रधान के चुनाव की रंजिश को लेकर अभियुक्तगण ने एकराय होकर लाठी-डण्डों एवं लाइसेंसी राइफल/रिवॉल्वर तथा कट्टे से लैस होकर उनके भाई पारसनाथ सिंह एवं तालूकदार सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी।

➡ □ अभियोग का विवरण— उक्त घटना के संबंध में थाना रानी की सराय पर मु0अ0सं0 901/2007, धारा 302, 307, 147, 148, 149, 323, 504, 506 भादवि के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप-पत्र माननीय न्यायालय में दाखिल किया गया। मुकदमे में कुल 17 गवाह परीक्षित हुए।

➡ □ न्यायालय का निर्णय— दिनांक 29.10.2026 को माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-प्रथम, जनपद आजमगढ़ द्वारा मुकदमे में दोषसिद्ध पाए जाने पर निम्नलिखित 09 अभियुक्तों को आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को ₹74,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया—

1. विपिन सिंह
2. राजेश सिंह, दोनों पुत्रगण रामाधीन सिंह
3. चुन्नू उर्फ रणविजय पुत्र नरेन्द्र सिंह
4. छोटू उर्फ पंकज सिंह पुत्र बांके सिंह
5. बलवन्त सिंह पुत्र राधेश्याम सिंह
6. लोकनाथ सिंह पुत्र अभय नारायण सिंह
7. जीवन प्रकाश सिंह पुत्र मनिक राज सिंह
8. शिवदास सिंह पुत्र प्रसिद्धी सिंह
9. अरविन्द सिंह पुत्र अवध नारायण सिंह

सभी अभियुक्तगण निवासी ग्राम रुदरी, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़ हैं।

**दिनांक– 29.10.2026 | जनपद आजमगढ़**

**मिशन शक्ति 6.0 अभियान के तहत परिवार परामर्श प्रकोष्ठ ‘नई-किरण’ की पहल, 02 बिखरे परिवारों में कराया गया समझौता**

➡ □ एडीजी जोन वाराणसी श्री नवीन अरोड़ा एवं डीआईजी आजमगढ़ परिक्षेत्र श्री सुनील कुमार सिंह के निर्देशन तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के नेतृत्व में मिशन शक्ति 6.0 अभियान के अंतर्गत थाना कोतवाली परिसर स्थित परिवार परामर्श प्रकोष्ठ/नई-किरण में दिनांक 29.10.2026 को बैठक आयोजित की गई।

➡ □ बैठक में कुल 04 पत्रावलियों में दोनों पक्षों को नोटिस एवं दूरभाष के माध्यम से सूचित कर मध्यस्थता हेतु बुलाया गया, जिनमें से 03 प्रकरणों में पक्षकार उपस्थित हुए। पुलिस टीम द्वारा आपसी बातचीत एवं समझाने-बुझाने के अथक प्रयासों से 02 दंपतियों के बीच सहमति स्थापित कर समझौता कराया गया। शेष प्रकरण में सुनवाई हेतु अग्रिम तिथि निर्धारित कर पक्षकारों को सूचित किया जाएगा।

समझौता कराने वाले प्रकरण—

अंजली साहनी पत्नी मिंटू साहनी, निवासी रैचन्दपट्टी, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़।

रुबाना बानो पत्नी तारिक, निवासी ऐमामबाड़ा, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़।

इस पहल का उद्देश्य पारिवारिक विवादों का आपसी सहमति से समाधान कर परिवारों को टूटने से बचाना तथा पारिवारिक न्यायालयों पर कार्यभार कम करने में सहयोग करना है।
उपस्थित पुलिस टीम—
उ0नि0 महेन्द्र तिवारी, उ0नि0 सत्यनारायण यादव, आरक्षी जितेन्द्र कुमार साह, आरक्षी सुनील कुमार गुप्ता एवं महिला आरक्षी नेहा सिंह।

**थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़**
**वाहन की आरसी स्थानांतरण हेतु फर्जी नो ड्यूज सर्टिफिकेट तैयार कर 5.75 लाख रुपये का लोन पास कराने वाले अभियुक्त को थाना सिधारी पुलिस ने किया गिरफ्तार**

➡ पूर्व की घटना का विवरण— वादी मुकदमा विजय शंकर यादव पुत्र कोमल यादव निवासी हैदराबाद उर्फ छतवारा, पोस्ट चण्डेश्वर, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना सिधारी पर तहरीर दी गई कि अभियुक्त द्वारा फर्जी नो ड्यूज सर्टिफिकेट तैयार कर उनके नाम से ₹5,75,000 का लोन पास कराकर धनराशि हड़प ली गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सिधारी पर मु0अ0सं0 315/2026 धारा 319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/352/351(3) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना प्रचलित है।

➡ गिरफ्तारी का विवरण— वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर मानुष पारीक एवं क्षेत्राधिकारी नगर शुभम तोदी के पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक थाना सिधारी के निर्देशन में दिनांक 28.10.2026 को उ0नि0 मनीष मिश्रा मय हमराह पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त अशोक गोंड उर्फ राहुल गोंड पुत्र राधेश्याम गोंड निवासी मकान संख्या 225, रैदोपुर, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 29 वर्ष को ग्राम सुरजनपुर, थाना गंभीरपुर, जनपद आजमगढ़ से समय करीब 20:15 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को आवश्यक विधिक कार्यवाही के उपरांत माननीय न्यायालय भेजा गया।
गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—
अशोक गोंड उर्फ राहुल गोंड पुत्र राधेश्याम गोंड निवासी मकान संख्या 225, रैदोपुर, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 29 वर्ष।
पंजीकृत अभियोग—
मु0अ0सं0 315/2026, धारा 319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/352/351(3) बीएनएस, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़।
गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम
उ0नि0 मनीष मिश्रा, थाना सिधारी, हे0का0 भास्करानंद सिंह हे0का0 आफताब अहमद जनपद आजमगढ़।

**थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़**
**दहेज हत्या के मुकदमे में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार**

➡ पूर्व की घटना का विवरण— दिनांक 23.09.2026 को वादी मुकदमा हरिराम यादव पुत्र लौटन यादव निवासी ग्राम जमालपुर काजी, थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना निजामाबाद पर प्रार्थना-पत्र देकर आरोप लगाया गया कि दिनांक 18.09.2026 की रात्रि में दहेज की मांग को लेकर उनकी पुत्री प्रतिभा यादव उर्फ अन्तिमा के साथ मारपीट एवं गला दबाकर हत्या की गई। उक्त प्रकरण में थाना निजामाबाद पर मु0अ0सं0 239/2026 धारा 85, 80(2), 352, 351(3) बीएनएस एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी सदर द्वारा की जा रही है।

➡ गिरफ्तारी का विवरण दिनांक 29.10.2026 को व0उ0नि0 सुरेश सिंह यादव मय हमराह पुलिस बल द्वारा वांछित अभियुक्त की तलाश की जा रही थी। इसी दौरान सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित केदार यादव पुत्र रामस्वरूप यादव निवासी ग्राम वजीरमलपुर, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़ को कब्रिस्तान मोड़, वजीरमलपुर के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तारी का कारण बताते हुए समय करीब 10:50 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय भेजा गया।
गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—
केदार यादव पुत्र रामस्वरूप यादव, निवासी ग्राम वजीरमलपुर, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 56 वर्ष।
पंजीकृत अभियोग—
मु0अ0सं0 239/2026, धारा 85, 80(2), 352, 351(3) बीएनएस एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़।
गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम—
व0उ0नि0 सुरेश सिंह यादव, थाना निजामाबाद।
हे0का0 धर्मेन्द्र यादव, का0 नीरज कुमार थाना निजामाबाद।

**थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़**

**अवैध तमंचा-कारतूस व संदिग्ध चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार, 02 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में**

➡ दिनांक 29.10.2026 को थाना सरायमीर पुलिस द्वारा नन्दाव मोड़ पर वाहन चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल सवार तीन व्यक्तियों को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान अभियुक्त आकाश यादव पुत्र अशोक यादव निवासी ग्राम सकूरपुर, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 20 वर्ष के कब्जे से एक अवैध तमंचा .32 बोर एवं एक जिन्दा कारतूस .32 बोर बरामद हुआ। वहीं, मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्लस संख्या UP 62 S 5063 के संबंध में कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किए जाने पर ई-चालान एप के माध्यम से जांच की गई, जिसमें वाहन प्रदीप अग्रहरी पुत्र गुलाब चन्द्र अग्रहरी निवासी भैसौली, उसरौली, थाना सरपतहा, जनपद जौनपुर के नाम पंजीकृत पाया गया।

➡ पुलिस द्वारा अभियुक्त आकाश यादव को गिरफ्तार तथा 02 बाल अपचारियों को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। इस संबंध में थाना सरायमीर पर मु0अ0सं0 268/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस एवं धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—

आकाश यादव पुत्र अशोक यादव, निवासी ग्राम सकूरपुर, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 20 वर्ष।

बरामदगी—

एक अवैध तमंचा .32 बोर एवं एक जिन्दा कारतूस .32 बोर।

एक मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्लस संख्या UP 62 S 5063।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम—

उ0नि0 अनुज कुमार द्विवेदी, का0 सौरभ पाल, का0 सागर सिंह एवं का0 मिथिलेश यादव, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़।